अध्याय 2(मैनूअल-1)

संगठन की विशिष्टियॉं, कृत्य तथा कर्त्तव्यः-

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या- सी0एस0 1/आर 1-102-86 दिनांक 10.01.91 के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्वतंत्र विभाग के रूप में सृजित किया गया है ।

विभाग के कार्य

सरकार के संकल्प संख्या- 86 दिनांक 10.01.91 द्वारा विभाग को निम्नांकित विषय आवंटित किये गये हैं:-

1. अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण
2. हज
3. वक्फ बोर्ड
4. अल्पसंख्यक से संबंधित निम्नांकित संस्था/निगम पर प्रशासनिक नियंत्रणः-

(क) बिहार राज्य धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

(ख) 15 सूत्री कार्यक्रम समिति

(ग) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम

(घ) उर्दू अकादमी

1. अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु वर्ष 1999-2000 से विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाऍं शुरू की गई हैं :-

I. जिला स्तर पर 97.00 लाख रूपये की लागत से 100 शैय्या वाले छात्र/ छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण ।

II. **पटना में रू0 5,82,25,100/- लाख रूपये की लागत से हज भवन का निर्माणः-** भवन निर्माण कार्य पूर्ण ।फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है । चालू वित्तीय वर्ष में उक्त भवन को पूर्णतः तैयार करने का लक्ष्य है ।

III. उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2006-07 से अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं:-

क. वक्फ सम्पत्ति के विकास के लिए वक्फ बोर्ड को रिभालविंग फंड उपलब्ध कराना ।

ख. वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु वक्फ बोर्ड को अलग से राशि उपलब्ध कराना ।

ग. परित्यक्ता मुस्लिम महिलायों को आर्थिक सहायता पहुॅचाना ।

घ. मेधावी तथा आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना ।

ड. अल्पसंख्यक बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग आदि की व्यवस्था करना ।

च. वित्तीय वर्ष 2007-08 में अल्पसंख्यकों के चतुर्दिक शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को एक मुश्त रू0 10,000/-(दस हजार रूपये) की राशि **मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत** दिये जाने की योजना आरंभ की गयी है, जिस हेतु कार्रवाई प्रगति में है ।

2. हज

हज अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बिहार राज्य हज समिति गठित किया गया है । राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष हज समिति को अनुदान देती है जिससे आजमीने हज को हज यात्रा हेतु आने-जाने के समय सुख-सुविधा देने के अतिरिक्त हज की विधि (अरकान-ए-हज) का प्रशिक्षण एवं विदेश यात्रा की आवश्यकताओं का ज्ञान कराया जाता है ।

3. वक्फ बोर्ड

वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत बिहार में सुन्नी और शिया दोनों समुदायों के लिए बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड गठित किया गया है । वक्फ सम्पत्ति के विवाद के निपटारे के लिए बिहार वक्फ ट्रिव्यूनल का गठन किया गया है ।

4. अल्पसंख्यकों से संबंधित निम्नलिखित संस्था/निकाय पर प्रशासनिक नियंत्रण

क. **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग**

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 के अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाता है । आयोग का कार्य एवं अधिकार अधिकार आदि से संबंधित प्रावधान आयोग अधिनियम 91 में किया गया है । आयोग मुख्य रूप से भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक को उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों को संरक्षित करता है ।विभागीय अधिसूचना संख्या- 1284 दिनांक 05.08.2006 के द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है :-

क्र0सं0	नाम	पता	पदनाम
1.	श्री नौशाद अहमद	समद कैम्प्स, समनपुरा, राजा बाजार, पटना	अध्यक्ष
2.	श्री सरदार चरण सिंह	छोटी पटन देवी, पटनासिटी, पटना	उपाध्यक्ष
3.	फादर पीटर अरूक्कास्वामी	प्राचार्य, संत माइकल स्कूल, पटना	उपाध्यक्ष
4.	श्री गौरांग चट्र्जी,	एडवोकेट, राजेन्द्र पथ, पटना	सदस्य
5.	श्री भन्ते बुद्ध प्रकाश	ग्राम+पोस्ट- खोजहापुर, जिला- बेगुसराय	सदस्य
6.	श्री महमूद आलम	ईशापुर, वार्ड न0-18, फुलवारी शरीफ, पटना	सदस्य
7.	श्री याकूब राइन	ग्राम+पोस्ट- शिवसागर, शिवसागर ब्लॉक के सामने, जिला- रोहतास	सदस्य
8.	श्री इमामुद्दीन कुरैशी	हुसैनाबाद, पोस्ट- मिरजानहाट, भागलपुर	सदस्य
9.	श्री नजीरूल हसनैन नय्यर	ग्राम- पटेरवा, पोस्ट- घुमनगर, प्रखंड- नौतन, भाया- बेतिया, जिला- प0 चम्पारण	सदस्य
10.	श्री सैय्यद असद अली	एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट, पटना	सदस्य
11.	श्री परवेज आलम शाहीन	द्वारा- डा0 वशीम, हड्डी रोड विशेषज्ञ, लाइन बाजार, पूर्णिया	सदस्य

ख. **15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिः-**

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाता है ।सम्प्रति राज्यस्तरीय प्रधानमंत्री 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन विभागीय संकल्प संख्या 1285 दिनांक 05 अगस्त 2006 द्वारा निम्न लिखित प्रकार से किया गया है :-

क्र0सं0	नाम	पता	पदनाम
1.	श्री मंजर आलम	राज्य मंत्री(स्व0प्र0) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	अध्यक्ष(पदेन)
2.	मो0 शरीफ कुरैशी	न्यू मिल्लत कॉलनी, फुलवारी शरीफ, पटना	कार्यकारी अध्यक्ष
3.	प्रो0 डा0 अजफर शमसी	फतह मंजिल तोपखाना बाजार, मुंगेर	उपाध्यक्ष
4.	श्री असगर शमीम	ग्राम-पेा- बेलछी शरीफ, थाना- मानपुर, नालंदा	उपाध्यक्ष
5.	श्री अजीत चक्रवर्ती	उपाध्यक्ष, रवीन्द्र परिषद, वीरचंद पटेल पथ, पटना	सदस्य
6.	श्री मनुभाई	प्रबंधक, शामुशरण धर्मशाला, पावापुरी, नालंदा	सदस्य
7.	श्री गुरूेन्द्र पाल सिंह	ग्रम-उचला, पोस्ट-भंडारतल, जिला- कटिहार	सदस्य
8.	श्री नौशाद आलम	सनगोड़ा, पो0-जोकीहाट, जिला-अररिया	सदस्य
9.	श्री बदरे आलम बदर	मो0- असफगंज, विशुनपुर, पोस्ट-लालबाग, जिला- दरभंगा	सदस्य
10.	श्री बुलंद अख्तर हाशमी	किशनगंज	सदस्य
11.	श्री कमरूद्दीन अंसारी	मानपुर पेहानी, पो0-बुनियादगंज, जिला- गया	सदस्य
12.	श्री मंसूर आलम	ग्राम-मोहदीनपुर, अब्दुल समद नगर, पोस्ट-मोहदीनपुर, सीवान	सदस्य
13.	मो0 नकवी अहमद	न्यू पॉटलीपुत्रा कॉलनी, पटना	सदस्य
14.	मो0 अब्दुल्ला	ग्राम-पोस्ट- लखमीनिया, थाना-बलिया, जिला-बेगुसराय	सदस्य
15.	मौलाना मो0 जुल्फकार अली बाड़ावी	मकान न0-212, ईशानगर, नया टोला, फुलवारी शरीफ, पटना	सदस्य
16.	श्री अबू शमा	अररिया	सदस्य

ग. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम

अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वर्ष 1984 में किया गया है । यह निगम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के चैनेलाईजिंग एजेन्सी के रूप में कार्य करता है । यह निगम जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारेां को सुलभ ऋण, टर्मलोन योजना, तत्काल ऋण, शैक्षणिक ऋण एवं पेशेवर ऋण के तहत ऋण वितरित करता है ।

घ. बिहार उर्दू अकादमी

उर्दू राज्य के द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित है । उर्दू भाषा एवं साहित्य के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना, सोसायटी अधिनियम 1860 के अर्न्तगत गुजराल समिति की अनुशंसा पर की गई है । अकादमी उर्दू भाषा के विकास में कार्यरत संस्थाओं/लेखकों को सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त उर्दू लेखकों की महत्वपूर्ण कृतियों का प्रकाशन/ पुरस्कृत करना, गोष्ठी और मुशायरा आदि का आयेाजन संबंधी कार्य करती है ।

ड़ अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू, बिहार

अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू बिहार अंजुमन तरक्की-ए- उर्दू हिन्द की एक शाखा है । यह उर्दू भाषा के विकास के लिए कार्यरत है । इसे भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ।

विभाग का संगठानात्मक ढांचा

मुख्यालय स्तर पर विभाग का संगठानात्मक संरचना निम्नवत् हैः-

सचिव

उप सचिव उप सचिव

प्रशाखा पदाधिकारी वक्फ विकास पदा0 सह प्रशाखा पदा0

शोध अन्वेषक सहायक

उच्च वर्गीय लिपिक

विभाग का संगठानात्मक संरचना

विभाग का कार्यालय प्रमंडल, जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर नहीं है । प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं विकास से संबंधित मामलों के निष्पादन, अल्पसंख्यकों की समस्याओं के निदान आदि के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हर जिले में अल्पसंख्यक कोषांग गठित है जिसमें यथा संभव अल्पसंख्यक समुदाय के एक नोडल पदाधिकारी होते हैं ।

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निवारण की व्यवस्था

जन शिकायतों की समस्याओं केा सुनने तथा उस पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर जन शिकायत कोषांग का गठन किया गया है जिसके प्रभारी उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है ।

मुख्य कार्यालय

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मुख्य सचिवालय स्थित बैरक संख्या-06 में अवस्थित है । जिला अथवा अन्य निचले स्तर पर विभाग का कार्यालय नहीं है । कार्यालय का समय 9.30 बजे पूर्वा0 से संध्या 6.00 बजे अप0 तक है ।

चैप्टर 3 (मैनुअल 2)

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्त्तव्यों का विवरण

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

विभाग के स्तर पर प्रशासनिक तथा आर्थिक शक्तियॉ विभागीय सचिव में निहित हैं । सचिव के सहयोग के लिए उप सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी तथा सहायक कार्यरत है ।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 के अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित है । इस आयोग में अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा 8 सदस्य हैं । आयोग के प्रशासनिक ढ़ॉचा में पदेन सदस्य सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी तथा सहायक पदस्थापित हैं ।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्थापित बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की शक्तियॉ मेमोरेन्डम आफ एसोसियेसन के अन्तर्गत बोर्ड आफ डायरेक्टर में निहित होती हैं । निगम अपने प्रशासनिक/आर्थिक कार्यों का निष्पादन प्रबंध निदेशक के माध्यम से करती है ।

वक्फ बोर्ड

वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत बिहार राज्य सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा दोनो वक्फ बोर्ड में एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है । बोर्ड के प्रशासनिक ढॉचे के प्रधान मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं ।सम्प्रति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में प्रशासक की नियुक्ति की गई है क्योंकि बोर्ड कार्यरत नहीं है । बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रशासक ग्रूप कैप्टन (सेवा निवृत्त) मो0 अनवर है ।

चैप्टर 4 (मैनुअल 3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

विभाग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु निम्नलिखित नियम/विनियम आदि का उपयोग किया जाता है:-

1. वक्फ अधिनियम 1995 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित बिहार वक्फ नियमावली-2002 वक्फ अधिनियम 1995, केन्द्रीय अधिनियम है । यह 01.01.1996 से प्रभावी है । इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के आलोक में बिहार वक्फ नियमावली 2002 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है ।

सुन्नी एवं शिया समुदाय के लिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अलग-अलग वक्फ बोर्ड गठित है । राज्य की वक्फ सम्पत्तियों का प्रशासन वक्फ अधिनियम तथा नियमावली के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है । वक्फ सम्पत्ति के संबंध में वक्फ बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय/पारित आदेश के विरूद्ध अपील बिहार वक्फ न्यायाधिकरण में दायर की जा सकती है । यह न्यायाधिकरण वर्तमान में मुख्य सचिवालय में विधि विभाग के संयुक्त सचिव के चैम्बर में कार्यरत है ।

	कार्यालय	दूरभाष संख्या
क.	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड 34, हार्डिग रोड, पटना	0612-2230581
ख.	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड आवेदिन हाउस, फ्रेजर रोड, पटना	0612-2234352

वक्फ अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है । इसकी प्रति विधि पुस्तक विक्रेता से प्राप्त की जा सकती है । बिहार वक्फ नियमावली 2002 की प्रति सरकारी प्रेस गुलजार बाग पटना से प्राप्त की जा सकती है ।

2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन, कार्य, अन्वेषण का अधिकार आदि से संबंधित प्रावधान बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 में किये गये हैं ।

आयोग से संबंधित सभी प्रकार की सूचनायें मुख्य सचिवालय स्थित बैरक संख्या-07 में अवस्थित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । आयोग अधिनियम 1991 सरकारी प्रेस गुलजारबाग, अथवा विधि संबंधी पुस्तकों के विक्रेता से प्राप्त की जा सकती है ।

3. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि0

अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि0 का गठन कम्पनी अधिनियम- 1956 के अन्तर्गत 1984 में किया गया है । निगम का प्रशासन मेमोरेंडम एन्ड आर्टिकल आफ ऐसोसियेशन के तहत किया जाता है । निगम

अल्पसंख्यक समुदायों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराती है तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की चैनेलाईजिंग एजेन्सी के रूप में कार्य करती है ।

निगम का कार्यालय, 34 हार्डिग रोड, पटना में स्थित है तथा दूरभाष सख्या-0612-2224975 है ।

चैप्टर 5 (मैनुअल 4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

5.1 बिहार राज्य सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड द्वारा बिहार के उन जिलों में जहॉ वक्फ की जायदाद है, जिला स्तरीय वक्फ कमिटी गठित की गयी है । साथ ही जिलों में अवस्थित विभिन्न वक्फों के रख-रखाव एवं नियंत्रण हेतु भी वक्फ कमिटी वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गयी है ।

5.2

1. बिहार राज्य शिया/सुन्नी वक्फ बोर्ड

बोर्ड के गठन में राज्य विधान मंडल/लोक सभा/राज्य सभा के मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी होती है ।

चैप्टर 6 (मैनुअल 5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रव(कटेगरीज) के अनुसार विवरण

6.1

क्रमांक	प्राधिकार का नाम जहॉ से कागजात प्राप्त किये जा सकते है ।	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण से संबंधित सूचनाएँ	आवेदन प्राप्त होने पर	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
2.	बिहार राज्य सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड	वक्फ सम्पत्ति से संबंधित सूचनाएँ	विहित रीति से आवेदन प्राप्त होने पर	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड
3.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम	अल्पसंख्यकों के बीच ऋण वितरण करने संबंधी सभी सूचनाएँ	तथैव	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि0, पटना

चैप्टर 7 (मैनुअल 6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थायें सम्बद्ध हैं:-

1. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि0

स्वरोजगार हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् 1984 में गठित है । इसका मुख्य कार्य-अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराना है । यह निगम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की चैनेलाईजिंग एजेन्सी के रूप में कार्य करती है । निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री इफ्तेखार हसन कार्यरत हैं । इसका मुख्य कार्यालय 34, हार्डिग रोड, पटना में स्थित है । जिला स्तर पर डी0आर0डी0ए0, ऋण आवेदन प्राप्त कर अभ्यर्थियों का चयन का कार्य करती है । निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक होती है । जनता को बैठक में भाग लेने का प्रावधान नहीं है । बोर्ड आफ डायरेक्टर की बैठक का कार्यवृत तैयार किया जाता है ।

2. बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड/ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत शिया एवं सुन्नी समुदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड गठन करने का प्रावधान है । बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य में स्थित वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संवर्द्धन करना है । वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है । सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यालय, 34, हार्डिग रोड, पटना है जबकि शिया वक्फ बोर्ड का कार्यालय आवेदिन हाउस, फ्रेजर रोड, पटना है । वक्फ बोर्ड महत्वपूर्ण बिन्दु पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत है । आम जनता बैठक में भाग नहीं लेती है । बोर्ड की बैठक का कार्यवृत तैयार किया जाता है ।

3. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 के अन्तर्गत राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन तीन वर्षो के लिए किया जाता है । आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा आठ सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार करता है । आयोग, राज्य के अल्पसंख्यकों को संविधान प्रदत्त अधिकारों को संरक्षित तथा सुरक्षित रखने का कार्य करती है । आयोग की बैठक होने का प्रावधान है । आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराना होता है । आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विधान मंडल के समक्ष उपस्थापित करने का प्रावधान है । इसका कार्यालय बैरक संख्या-07, मुख्य सचिवालय, पटना-15 में अवस्थित है । बैठक का कार्यवृत्त तैयार करने का प्रावधान है ।

4. उर्दू अकादमी

वर्ष 1972 में गुजराल समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में सोसाईटी अधिनियम 1860 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उर्दू अकादमी की स्थापना की गयी है । यह एक स्वायतपोषी निकाय है जो उर्दू भाषा के सर्वांगीण विकास, उर्दू के लेखकों को सहायता प्रदान करना तथा उर्दू भाषा के महत्वपूर्ण कृतियों का

प्रकाशन / पुरस्कृत करना, गोष्ठी व मुशायरा का आयोजन करना जैसे महत्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित करती है जिसके निमित्त राज्य सरकार द्वारा यथा आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है ।

5. हज कमिटी

विधि, न्याय एवं कम्पनी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गठित हज कमिटी एक्ट 2002 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्टेट हज कमिटी गठित किया गया है जो हज यात्रियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करती है । राज्य सरकार द्वारा यथा आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है ।

6. अंजुमन तरक्की-ए- उर्दू

अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू (हिन्द) की शाखा के रूप में अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू, बिहार कार्यरत है जो उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार का कार्य करती है और इसे राज्य सरकार द्वारा यथा आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है ।

चैप्टर 8 (मैनुअल 7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 सहायक लोक सूचना पदाधिकारी

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष कार्यालय/ आवास	फैक्स	ई0 मेल	पता	
1.	श्री श्रीनिवास सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	प्र0 पदा0	0612	2236742 (कार्यालय) 2296728 (आवास)	2220745	minwel-@ bih-nic-in	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना-15	

लोक सूचना पदाधिकारी

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष कार्यालय/ आवास	फैक्स	ई0 मेल	पता	
1.	डॉ0 एम0ए0 एजाजी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	उप सचिव	0612	2236742 (का0)	2220745	minwel-@ bih-nic-in	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना-15	

विभागीय अपीलेट अथोरिटी

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष कार्यालय/ आवास	फैक्स	ई0 मेल	पता	
1.	श्री रशीद अहमद खान, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	सचिव	0612	2236742 (कार्यालय) 2250471 (आवास) 9431480905	2220745	minwel-@ bih-nic-in	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना-15	

चैप्टर 9 (मैनुअल 8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

Procedure followed to take decision:-

किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए सचिवालय अनुदेश में विहित प्रक्रिया से प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । रूल्स आफ इक्ज्यूकिटिव बिजनेस में विहित प्राधिकार ही किसी विषय वस्तु पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम होते है । विभाग में सचिका का उपस्थापन सहायक द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा उप सचिव तथा उप सचिव द्वारा सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । सचिव विषय वस्तु के अनुसार अपने स्तर से अथवा आवश्यकतानुसार मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हैं । जिस विषय पर कैबिनेट की निर्णय की अपेक्षा होती है, उसे आवश्कयतानुसार अन्य विभागों का परामर्श प्राप्त कर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्ताव पर मंत्रिमडल के अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जाता है । मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात् संबंधित विषय पर निर्णय संसूचित होता है । जिस निर्णय को बिहार गजट में प्रकाशन करने की आवश्यकता होती है उसे गजट में प्रकाशन हेतु सरकारी प्रेस, गुलजारबाग भेजा जाता है । जिस निर्णय का कार्यान्वयन जिला स्तर पर होना है उससे संबंधित सूचना जिलों को फैक्स/स्पीड पोस्ट या अन्य माध्यमों से जिलों को भेजी जाती है ।

9.6

क्र0सं0	
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषय वस्तु पर
दिशा-निर्दश(यदि हो तो)	
निर्णय लेने की प्रक्रिया	सहायक/प्र0 पदा0/उप सचिव तथा सचिव
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	उप सचिव, सचिव
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियां की सम्पर्क सूचना	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बैरक संख्या-06, मुख्य सचिवालय,बिहार, पटना । दूरभाष संख्या- 2236742 फैक्स संख्या- 2220745

चैप्टर 10 (मैनुअल 9)

अधिकारियें एंव कर्मचारियों की निर्देशिका

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिला स्तर पर कोई कार्यालय नहीं है । अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन जिलाधिकारी के नियंत्रण में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कोषांग, जिसमें यथा संभव अल्पसंख्यक वर्ग के नोडल पदाधिकारी भी होते हैं, द्वारा संचालित किया जाता है ।

नाम/ पदनाम	दूरभाष संख्या कार्यालय	आवास	फैक्स/ मोबाईल
1. श्री मंजर आलम, राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)	2210478	2224480	9431228232
2. श्री रशीद अहमद खान, भा0प्र0से0, सचिव	2236742	2250471	2217745/9430888674

चैप्टर 11 (मैनुअल 10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

अधिकारियों और कर्मचारियें द्वारा प्राप्त वेतन भत्ता का विवरण

क्रमांक	अधिकारी का नाम/पदनाम	कुल मासिक परिलब्धियॉ	पारिश्रमिक निर्धारण की प्रक्रिया
1.	श्री रशीद अहमद खान, सचिव	रू0 41,850=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
2.	श्री कमरूद्दीन, उप सचिव	रू0 35,174=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
3.	डॉ0 एम0ए0 एजाजी, उप सचिव	रू0 33,887=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
4.	श्री फिरोज आलम सिद्दीकी, प्र0पदा0	रू0 28,300=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
5.	श्री श्रीनिवास सिंह, प्र0 पदा0	रू0 28,300=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
6.	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, सहायक	रू0 18,526=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
7.	श्री मसूदन प्रसाद सिंह, सहायक	रू0 19,156=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
8.	श्री रंजीत कुमार, नि0व0 लिपिक	रू0 7,307=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
9.	श्री सैयद परवेज आजम, शोध अन्वेषक	रू0 22,306=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
10.	मो0 शमसुद्दीन अंसारी, निजी सहायक	रू0 20,506=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
11.	मो0 रजी इमाम, निजी सहायक	रू0 20,506=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
12.	मो0 इसराइलउद्दीन, निजी सहायक	रू0 20,506=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
13.	श्री अभय कुमार वर्मा, उच्च वर्गीय लिपिक	रू0 11,605=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
14.	श्री सत्येन्द्र शर्मा, आशु लिपिक	रू0 9,355=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
15.	श्री अरविन्द कुमार, आशुलिपिक	रू0 9,355=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
16.	श्री गोवर्द्धन प्रसाद सिंह, चालक	रू0 8,409=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
17.	मो0 इसराईल, चालक	रू0 8,409=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
18.	श्रीमती उषा देबी, फर्राश	रू0 8,045=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

क्रमांक	अधिकारी का नाम/पदनाम	कुल मासिक परिलब्धियॉ	पारिश्रमिक निर्धारण की प्रक्रिया
1.	श्री चन्देश्वर रविदास, प्रशाखा पदा0	रू0 26,106=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
2.	श्री असगर हुसैन, सहायक	रू0 18,706=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
3.	मो0 हाशीम, आदेशपाल	रू0 7,235=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
4.	श्री संजय कुमार राम, आदेशपाल	रू0 7,235=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
5.	श्री अरूण कुमार, आदेशपाल	रू0 7,101=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन
6.	श्री विरेन्द्र पाण्डेय, आदेशपाल	रू0 6,660=00	सरकार द्वारा निर्धारित वेतन

चैप्टर 12 (मैनुअल 11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी येाजनाओं प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

वर्ष 2007-08

क्र0सं0	योजना का नाम	कार्य प्रा0 होने की तिथि	कार्य समाप्ति की अनुमानित तिथि	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	आवंटित राशि	वास्तविक व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति
1.	अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण	1999-00	कुल 14 जिलों में 15 छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण, 23 जिलों में छात्रावास निर्माण कार्य प्रगति पर एवं एक का स्थल चयन की प्रक्रिया जारी है ।	1021.00 लाख	1021.00 लाख	94.00 लाख	94.00 लाख	जिलाधिकारी जिनके जिला में कार्य चल रहा है ।
2.	हज हाउस का निर्माण	99-00	2007-08	1.00 करोड़	रू0 1.00 करोड़	शून्य	शून्य	कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल-1, भवन निर्माण विभाग

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए

क्रमांक	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	आवंटित राशि	कुल व्यय
1.	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को अनुदान		20.00 लाख	शून्य	शून्य
2.	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड को अनुदान		7.50 लाख	7.50 लाख	7.50 लाख
3.	बिहार उर्दू अकादमी को अनुदान		100.00 लाख	शून्य	शून्य
4.	अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू बिहार को अनुदान		4.00 लाख	शून्य	शून्य
5.	बिहार हज समिति को अनुदान		10.00 लाख	शून्य	शून्य

चैप्टर 13 (मैनुअल 12)

अनुदान/ राज्य सहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति

13.1 **कृपया निम्न पर जानकारी उपलब्ध करायें:-**

1.	कार्यक्रम/योजना का नामः	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली की टर्मलोन योजना ।
2.	कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमाः	समय-सीमा अनवरत है । यह येाजना लगातार संचालित होती रहती है ।
3.	कार्यक्रम का उददेश्य	अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वित्त पोषण ।
4.	कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	10 करोड़ रूपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित
5.	लाभार्थी की पात्रता	(क) अल्पसंख्यक यथा, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी एवं बौद्ध जिनका वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगुनी अर्थात् शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी क्रमशः 55 हजार एवं 42 हजार से आय कम हो । (ख) उम्र सीमा 18-50 वर्ष के अंदर हो । (ग) बिहार राज्य के निवासी हो ।
6.	पूर्वापेक्षायें	आवेदन पत्र के साथ आय, आवासीय एवं मुस्लिम छोड़कर अन्य हेतु जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए
7.	अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	अनुदान/सहायता नहीं दी जाती है । सहायता के लिए ऋण राशि 6 प्रतिशत साधारण ब्याज पर दिया जाता है ।
8.	पात्रता निर्धारित करने के लिए मापदंड	उपरोक्त कंडिका 05 में अंकित है ।
9.	दिये जाने वाले अनुदान/ सहायता का विवरण	अनुदान नहीं, बल्कि 6 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण दिया जाता है ।
10.	अनुदान/ सहायता का विवरण की प्रक्रिया	अनुदान/ सहायता नहीं दी जाती है ।
11.	आवेदन करने के लिए कहॉ और किससे सम्पर्क करें ।	प्रमंडलीय स्तर पर अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के एक कर्मचारी प्रतिनियुक्त है । प्रमंडलीय कोषांग(पटना प्रमंडल को छोड़कर) में ही ऋण हेतु

		आवेदन जमा किया जाता है ।पटना में अल्पसंख्यक वित्तीय निगम में सीधे आवेदन देना है ।
12.	आवेदन शुल्क(जहॉ उचित हो)	आवेदन के साथ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है
13.	आवेदन पत्र का प्रारूप	जिला स्तरीय चयन समिति से चयनोपरान्त ऋणावेदक द्वारा कागजीकरण तथा अनुबंध पत्र, गारंटी बांड, शपथ-पत्र तथा हाईपोथिकेशन प्रपत्र पर क्रमशः 100-100 रूपये तथा 22.50 एवं 20/- रूपये का स्टाम्प लगाकर निष्पादित करना है । आवेदन प्रारूप संलग्न ।
14.	संलग्नकों की सूची	आवेदन पत्र के साथ आय, आवासीय एवं मुस्लिम को छोड़कर अन्य जाति प्रमाण पत्र देंगे ।
15.	संलग्नकों का प्रारूप	उपरोक्त ।
16.	प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहॉ सम्पर्क करें ।	संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय या अल्पसंख्यक वित्त निगम केमुख्यालय कार्यालय से सम्पर्क करें ।
17.	उपलब्ध धन राशि का विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 10.00 करोड़ रूपये वितरण करने का लक्ष्य हैं ।
18.	प्राप्तिकर्त्ताओं की सूची(अनुदान मद में)	अनुदान मद में राशि नहीं दी गयी है ।

चैप्टर 14 (मैनुअल 13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध

14.1 **कृपया निम्न पर जानकारी उपलब्ध करायें:-**

1.	कार्यक्रम/योजना का नामः	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली की टर्मलोन योजना ।
2.	कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमाः	समय-सीमा अनवरत है । यह येाजना लगातार संचालित होती रहती है ।
3.	कार्यक्रम का उददेश्य	अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वित्त पोषण ।
4.	कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	10 करोड़ रूपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित
5.	लाभार्थी की पात्रता	(क) अल्पसंख्यक यथा, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी एवं बौद्ध जिनका वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगुनी अर्थात् शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी क्रमशः 55 हजार एवं 42 हजार से आय कम हो । (ख) उम्र सीमा 18-50 वर्ष के अंदर हो । (ग) बिहार राज्य के निवासी हो ।
6.	पूर्वापेंक्षायें	आवेदन पत्र के साथ आय, आवासीय एवं मुस्लिम छोड़कर अन्य हेतु जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए
7.	अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	अनुदान/सहायता नहीं दी जाती है । सहायता के लिए ऋण राशि 6 प्रतिशत साधारण ब्याज पर दिया जाता है ।
8.	पात्रता निधिन करने के लिए मापदंड	उपरोक्त कंडिका 05 में अंकित है ।
9.	दिये जाने वाले अनुदान/ सहायता का विवरण	अनुदान नहीं, बल्कि 6 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण दिया जाता है ।
10.	अनुदान/ सहायता का विवरण की प्रक्रिया	अनुदान/ सहायता नहीं दी जाती है ।

11.	आवेदन करने के लिए कहॉ और किससे सम्पर्क करें ।	उप विकास आयुक्त या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय से सम्पर्क करें।
12.	आवेदन शुल्क(जहॉ उचित हो)	आवेदन के साथ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है
13.	आवेदन पत्र का प्रारूप	जिला स्तरीय चयन समिति से चयनोपरान्त ऋणावेदक द्वारा कागजीकरण तथा अनुबंध पत्र, गारंटी बांड, शपथ-पत्र तथा हाईपेाथिकेशन प्रपत्र पर क्रमशः 100-100 रूपये तथा 22.50 एवं 20/- रूपये का स्टाम्प लगाकर निष्पादित करना है ।
14.	संलग्नकों की सूची	आवेदन पत्र के साथ आय, आवासीय एवं मुस्लिम को छोड़कर अन्य जाति प्रमाण पत्र देंगे ।
15.	संलग्नकों का प्रारूप	उपरोक्त ।
16.	प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहॉ सम्पर्क करें ।	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय या निगम मुख्यालय कार्यालय से सम्पर्क करें ।
17.	उपलब्ध धन राशि का विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 10.00 करोड़ रूपये वितरण करने का लक्ष्य है ।
18.	प्राप्तिकर्त्ताओं की सूची(अनुदान मद में)	अनुदान मद में राशि नहीं दी गयी है ।

चैप्टर 15 (मैनुअल 14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

15.1 अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण

पटना जिला में छात्र एवं छात्राओं के लिए एक- एक अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण किया गया है । पटना के अतिरिक्त शेष 37 जिलों में छात्रावास निर्माण की येाजना ली गई है । यह योजना जिलाधिकारी के देख रेख में भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा कार्यान्वित की जाती है । विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जाता है । 37 जिलों में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने की योजना विचाराधीन है । इसके लिए राशि उपलब्ध है ।

अल्पसंख्यक भवन सह हज हाउस का निर्माण

अल्पसंख्यक भवन-सह- हज हाउस का निर्माण पटना में किया जा रहा है । यह निर्माण कार्य कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, पटना- 1, भवन निर्माण विभाग की देख-रेख में किया जा रहा है । विभाग राशि उपलब्ध कराता है । कुल प्राक्कलन 5,82,25,100/- रूपये(पॉच करोड़ बयासी लाख पच्चीस हजार एक सौ रूपये) मात्र है । हज हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है । चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है ।

चैप्टर 16 (मैनुअल 15)

इलेक्ट्रानिक्स रूप में उपलब्ध सूचनाएँ

1. Status of the important schemes/achievements of the department as on Ist July 2007

1. Construction of Minority Hostels for girls/boys students

Scheme started in the year	:	1999
Estimate	:	Rs. 97 lakh for each hostel
Hostels construction completed : VC/DM to allot seats to Students		Total 14 Districts**:** Patna(boys & girls), Aurangabad, Vaishali, Madhubani,Monghyr, Madhepura Rohtas, Motihari, Arariya, Gaya Bhagalpur, Begusarai, Katihar & Khagaria.
Hostels construction under progress under DMs supervision	:	Total 23 Districts: Jehanabad, Arrah, Gopalganj, Saharasa, Darbhanga, Supaul Kishanganj, Siwan, Muzzafarpur, Saran, Banka, Nalanda, Kaimur, Nawada, Sitamarhi, Betiah, Samastipur, Purnea, Shekhpura, Jamui, Seohar, Lakhisarai &Arwal.
Hostel construction to be started. As per order of Deptt. of Minority Welfare letter no. 273 dated 23.03.05 hence forth sites will be selected at Minority Educational institutions only.	:	Total 01 District: Buxar .(Plot allocated)

Plan outlay for construction of hostels		
Financial Year 2007-2008		Rs. 1021.00 lakhs
Fund Released during 2007-08		Rs. 94.00 lakhs
Total fund released		Rs. 94.00 lakhs

2. <u>Haj Bhavan</u>

Total Estimate	:	Rs. One Crore
Fund alloted during 2007-08	:	Nil
Plan Outlay for the year 2007-2008	:	Rs. One Crore
Fund allotted during 2007-08	:	Rs. One Crore
Funds released up to 2007-08	:	NIL

For the first time in 2005 direct Haj flights were arranged from Patna to Delhi enroute to Jeddah.

3. <u>Urdu Academy</u>

Funds released in 2003-04	:	Rs. 100 lakhs
Provision of funds in 2004-05	:	Rs. 100 lakhs
Fund released in 2004-05	:	Rs. 39.75 lakhs
Provision for Fund in 2005-06	:	Rs. 100.00 lakhs
Fund released in 2005-06	:	Rs. 32.00 lakhs
Provision for Fund in 2006-07	:	Rs. 100.00 lakhs
Fund released in 2006-07	:	Rs. 30.26 lakhs
Provision for Fund in 2007-08	:	Rs. 100.00 lakhs
Fund released in 2007-08 (up to Julay 2007)	:	NIL

6. **Anjuman Taraqui-e- Urdu, Bihar**

Provision of fund for 2006-07	:	Rs. 4.00 lakhs
Fund alloted during the period 2006-07		Rs. 4.00 lakhs
Provision for Fund in 2007-08	:	Rs. 4.00 lakhs

7. **Bihar State Minority Financial Corporation**

No. of applications received in 2006-07	:
No. of applications sanctioned in 2006-07	:
Total amount sanctioned in 2006-07	:

Plan for 2007-2008

Subject/Unit	Budget Provision for 2006-07	Budget Provision for 2007-08
1. Minority Hostel	Rs. 676.04 lakhs	Rs. 1021.00 lakhs
2. Construction of Haj Bhavan	Rs. 268.82 lakhs	Rs. 100.00 lakhs
3. Computerization of Survey of Waqf PropertiesSunni & Shia Wakf Board	Rs.10.00 lakhs	Rs. 50 lakhs
4. Share Capital to National Minority Development & Finance Corporation, New Delhi	Rs. 200.00 lakhs	Rs. 232.39 lakhs
5. Share Capital to Bihar State Minority Financial Copration, Patna	Rs. 200.00 lakhs	Rs. 205.00 lakhs
6. Scholarship of college going students on merit cum poverty basis	Rs. 40.00 lakhs	Rs. 200.00 lakhs
7. Scholarship of college going students for preparation of competitive examination of Public Service Commission	Rs. 25.00 lakhs	Rs. 200.00 lakhs
8. Maintenance and protection of Wakf properties	Rs. 20.00 lakhs	Rs. 50.00 lakhs
9. Grant-in-aid as revolving fund to State Wakf Board for developing of Wakf properties	Rs. 50.00 lakhs	Rs. 40.61 lakhs
10. Financial Assistance to Muslim divorced women through Wakf Board.	Rs. 35.00 lakhs	Rs. 140.00
11. Fencing of Grave yards	Rs. 700.00 lakhs	Transferred to Home Deptt.
Total Plan	Rs. 2224.86	Rs. 2239.00 lakhs

Non Plan 2006-2007

Sl.No.	Subject Matter. Grant-in-aid to	Budget Allocation	Allotment	Remarks
1.	Bihar State Sunni Wakf Board	20.00 lakhs	20.00 lakhs	
2.	Bihar State Shia Wakf Board	7.50 lakhs	7.50 lakhs	
3.	Anjuman Tarqui-e-Urdu	4.00 lakhs	4.00 lakhs	
4.	Bihar Urdu Academy	1.00 crore	30.26 lakhs	
5.	Bihar Bangala Academy	5.00 lakhs	5.00 lakhs	
6.	Bihar State Haj Committee	20.00 lakhs	18.00 lakhs	

चैप्टर 17 (मैनुअल 16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण जैसे

पुस्तकालय	-
नाटक/नुक्कड	-
अखबारों के द्वारा	अखबारों के द्वारा विज्ञप्ति आदि के माध्यम से समय-समय पर
प्रदर्शनी	-
सूचना पटल	-
अभिलेखों का निरीक्षण	आवेदन प्राप्त होने पर
दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था	आवेदन प्राप्त होने पर
उपलब्ध विभागीय मैनुअल	विभागीय मैनुअल प्रकाशित है ।
लोक प्राधिकरण की बेवसाईट	बेवसाईट का नामः. http://mwd.bih.nic.in.
अन्य प्रचार प्रसार के साधन	

चैप्टर 18 (मैनुअल 17)

अन्य उपयोगी जानकारियां

18.1 **लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर**

संभवतः इसके लिए नियमावली का निर्माण किया जाना है ।

18.3

लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षणा के संबंध में ।	निगम द्वारा सीधे प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया जाता, बल्कि स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से सहमति के पश्चात् यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है । अभी तक इस कार्यक्रम के तहत् कुल 54 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिस पर 3.30 लाख रूपये व्यय हुआ है ।

18.5	लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में ।	इस प्रकार पंजीयन निगम में नहीं किया जाता है ।